

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
 प्रकरण संख्या 754/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
 इण्डियन बैंक शाखा निवारु रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री अंकित त्यागी पुत्र श्री नरेश त्यागी
2. श्री राहुल कुमार त्यागी पुत्र श्री रामोतार त्यागी  
 पता :- 85/724 सेक्टर 8, प्रताप नगर, सेक्टर 11, जिला जयपुर।  
 एवं फ्लेट नम्बर टी-5, तीसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर 558, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के सामने, स्वर्ण  
 विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण ऋणी  
 एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and  
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
 Security Interest Act. 2002

उपस्थित :- रीना वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.08.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अंकित त्यागी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 558, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर स्थित फ्लेट नम्बर टी-5, तृतीय तल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 13,90,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 13,90,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार

जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर




ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज **16,85,915/-**रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक **09.03.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्री अंकित त्यागी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 558, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर स्थित प्लॉट नम्बर टी-5, तृतीय तल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो।
- संवावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आजाज दिनांक **24.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर